प्रेस विज्ञप्ति
10.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने **उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले के** संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 89.84 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में एस. के. पांडेय और ए. के. शुक्ला के नाम पर 68.62 लाख रुपये मूल्य की 7 बैंक जमा राशि, निरुपमा पांडेय के नाम पर 10.16 लाख रुपये मूल्य का एक मकान और एस .एन . गुप्ता के नाम पर 11.06 लाख रुपये मूल्य का एक भूखंड शामिल है। ये अचल संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में स्थित हैं।

ईडी ने वर्ष 2012 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न अनुसूचित धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि एसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोपराइटर एसके पांडेय, सनी एंड कंपनी के प्रोपराइटर एके शुक्ला, जय गणेश ट्रेडर्स की प्रोपराइटर निरुपमा पांडेय, श्याम मेडिकल एजेंसी के प्रोपराइटर एसएन गुप्ता और अन्य ने वर्ष 2005 से 2011 तक सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी अस्पतालों के लिए एनआरएचएम आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए जिला वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र किया। आरोपी फर्मों ने धोखाधड़ी से सरकारी अस्पतालों को एनआरएचएम योजना के तहत दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति महंगी दरों पर की, जो प्रचलित अनुबंध दरों से बहुत अधिक थी परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 1.14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ईडी ने एनआरएचएम फंड के दुरुपयोग/गबन से जुड़ी अपराध की आय का पता लगा कर 89.84 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।